



प्रेस नोट जनपद गाजियाबाद दिनांक 19.09.2021

स्वाट टीम व थाना लोनी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 09.09.21 को कपडा व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से लूटी हुई कार, नगदी (5,30,000 रु0) व 03 अवैध तमन्चा मय 06 अदद कारतूस बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री पवन कुमार महोदय के निर्देशन मे, श्रीमान ईरज रजा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद गाजियाबाद, श्रीमान अतुल कुमार सोनकर क्षेत्राधिकारी लोनी जनपद गाजियाबाद के निकट पर्यवेक्षण में गठित टीम द्वारा थाना लोनी क्षेत्र मे दिनांक 09.09.21 को व्यापारी के साथ हुई लूट जिसमे 14,50,000/- रुपये (चौदह लाख पचास हजार रुपये) की नगदी मय स्विफ्ट डिजायर कार लूटे जाने की घटना (मु0अ0स0 1294/21 धारा 392/411 भादवि) का सफल अनावरण करते हुए 03 नफर अभि0गण 1.शकील पुत्र वकील नि0 रतौल वाइन शाप के पास थाना खेकडा जनपद बागपत 2. सौरव गुर्जर पुत्र अजीत गुर्जर नि0 भगौट थाना चांदी नगर जनपद बागपत 3.सनी शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा केयर ऑफ पिंकी पत्नी अर्जुन मिश्रा नि0 म0नं0 A 228 1 A ब्लाक गली नं0 15 अम्बिका विहार शिव विहार मुस्तफाबाद थाना करावल नगर नार्थ ईस्ट दिल्ली को लूटी गई कार स्विफ्ट डिजायर सफेद रंग रजि नं0 DL 5 CL 1537 व लूटे हुए रुपयो में से दो लाख साठ हजार रु0 में खरीदी हुई एक अदद होण्डा सिविक व घटना में प्रयुक्त एक अदद मो0सा0 मय लूट के रुपयो मे से पाँच लाख तीस हजार रुपये व 03 अदद तमन्चा मय 06 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ निठौरा गेट से 20 मीटर निठौरा गाँव जाने वाली रोड चौकी बन्थला से दिनांक 19.09.2021 को गिरफ्तार किया गया है । पूछताछ कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

अपराध कराने का तरीका:-

यह दुर्दान्त किस्म के अपराधी दिल्ली, ग्रेटर नोयडा तथा एनसीआर क्षेत्र मे बडे बडे व्यापारियो की रैकी कर उनके आने जाने का समय, वाहन आदि पर पैनी नजर रखते हुए मौका पाते ही रास्ते मे गाडी सहित नगदी आदि बडे ही सुनियोजित तरिके से व्यापारियो से लूटपाट की घटनाओ को अन्जाम देते है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास –

1. शकील पुत्र वकील नि0 रतौल वाइन शाप के पास थाना खेकडा जनपद बागपत।

मु0अ0स0 1294/2021 धारा 392/411 भादवि

मु0अ0स0 1336/2021 धारा 3/25 आर्म एक्ट

2. सौरव गुर्जर पुत्र अजीत गुर्जर नि0 भगौट थाना चांदी नगर जनपद बागपत

मु0अ0स0 900/2018 धारा 392/411/34 भादवि थाना सूरजपुर जनपद नोयडा

मु0अ0स0 795/2018 धारा 392/411/34 भादवि थाना विसरख जनपद नोयडा

मु0अ0स0 797/2018 धारा 25 आर्म एक्ट थाना विसरख जनपद नोयडा

मु0अ0स0 571/2019 धारा 307 भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद

मु0अ0स0 573/2019 धारा 25/27 आर्म एक्ट थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद

मु0अ0स0 1294/2021 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

मु0अ0स0 1337/2021 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

3. सनी शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा केयर ऑफ पिंकी पत्नी अर्जुन मिश्रा नि0 म0नं0 A 228 1 A ब्लाक गली नं0 15
अम्बिका विहार शिव विहार मुस्तफाबाद थाना करावल नगर नार्थ ईस्ट दिल्ली

मु0अ0सं0 188/12 धारा 379/411 भादवि दिल्ली

मु0अ0सं0 139/12 धारा 379 भादवि दिल्ली

मु0अ0सं0 521/16 धारा 392/399/411/34 भादवि दिल्ली

ई-एफआईआर 37066/16 धारा 379 भादवि दिल्ली

मु0अ0स0 1294/2021 धारा 392/411 भादवि

मु0अ0स0 1338/2021 धारा 3/25 आर्म एक्ट

फरार अभियुक्त गण:-

1. अशोक पुत्र जगत नि0 ग्राम गनौली थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

2. गिरेन्द्र नि0 दिल्ली

अभियुक्तगण से माल बरामदगी का विवरण:-

1. 5,30,000 रुपये (पाँच लाख तीस हजार रुपये नगद धनराशी)

2. लूटे गयी धनराशि मे से 2,60,000/- रुपये नगदी से खरीदी गयी गाडी होण्डा सिविक सिल्वर कलर , नम्बर DL 7 CK 1134

3. स्वीफ्ट डिजायर गाडी DL 5 CL 1537 जो व्यापारी से लूटी हुई बरामद

4. 3 अदद देशी दमंचे .315 बोर

5. 6 अदद जिन्दा कारतूश .315 बोर

6. एक अदद मोटर साइकिल CBZ नम्बर DL 5S AD 1988 (घटना मे प्रयुक्त)



**थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा कैस्ट्रॉल ऑयल कम्पनी का नकली ऑयल व अन्य नकली सामग्री
सहित एक अभि0 गिरफ्तार ।**

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर लक्ष्मीगार्डन दिल्ली बागपत रोड चौकी क्षेत्र इन्द्रापुरी से दिनांक 18.09.2021 को अभि0 नफीस पुत्र सेहेदू नि0 म0नं0-144, गली नं0-17 संगमविहार लोनी गाजियाबाद को मय कैस्ट्रॉल ऑयल प्रा0लि0 कम्पनी के भारी मात्रा में नकली ऑयल व डिब्बे व अन्य सामग्री क्रमशः 2824 स्टीकर कैस्ट्रॉल एक्टिव 1 लीटर, 410 स्टीकर कैस्ट्रॉल जी.टी.एक्स 1 लीटर के, 1140 कैस्ट्रॉल

होलोग्राम, 660 कैस्ट्रोल कैप, 445 प्लेन डिब्बा जिसपे कैस्ट्रोल लिखा है, 215 प्लेन डिब्बा कैस्ट्रोल जीटी एक्स, 720 सिल्वर कैपलॉक, 10 पीस कैस्ट्रोल गत्ता, 25 पीस कैस्ट्रोल एक्टिव 1 लीटर भरे हुए नकली माल के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नफीस उपरोक्त कैस्ट्राल आयल प्रा0लि0 कम्पनी के मार्का पर नकली आयल व अन्य सामान बना रहा था। जिसके विरुद्ध थाना लोनी बार्डर पर मु0अ0सं0 833/2021 धारा 63 कोपीराइट एक्ट व 420 भादवि पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1- नफीस पुत्र सेहेदू नि0 म0नं0-144, गली नं0-17 संगमविहार लोनी गाजियाबाद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 833/2021 धारा 63 कोपीराइट एक्ट व 420 भादवि।

अभियुक्त से बरामद का विवरण-

1-2824 स्टीकर कैस्ट्रोल एक्टिव 1 लीटर, 2- 410 स्टीकर कैस्ट्रोल जी.टी.एक्स 1 लीटर के, 3- 1140 कैस्ट्रोल होलोग्राम, 4- 660 कैस्ट्रोल कैप, 5-445 प्लेन डिब्बा जिसपे कैस्ट्रोल लिखा है, 6- 215 प्लेन डिब्बा कैस्ट्रोल जीटी एक्स, 7- 720 सिल्वर कैपलॉक, 8- 10 पीस कैस्ट्रोल गत्ता, 9- 25 पीस कैस्ट्रोल एक्टिव 1 लीटर भरे हुए।



थाना लोनी पुलिस व एसओजी टीम (श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण) द्वारा संयुक्त रूप से आन्ध्र प्रदेश से तस्करी कर ला रहे 55 किग्रा 500 ग्राम नाजायज गांजा व होंडा सिविक कार न0-DL7CE5688 सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद गाजियाबाद में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी लोनी के कुशल पर्यवेक्षण व निर्देशन में थाना लोनी पुलिस व एसओजी टीम (श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण) द्वारा संयुक्त रूप से चैकिंग के दौरान दिनांक 18.09.2021 को अभियुक्त गयूर पुत्र कयूम नि0- हर्षा खिवई थाना सररपुर जिला मेरठ को कस्बा चौकी के सामने मेन रोड पर गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से होंडा सिविक कार न0-DL7CE5688 गाडी से आन्ध्र प्रदेश से तस्करी कर लाया जा रहा 55 किलो 500 ग्राम नाजायज गाजा बरामद हुआ। पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं आन्ध्र प्रदेश से कम दामों में गांजा खरीद कर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अधिक दामों में इस गांजे को बेच कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ।

अपराध कारित करने का तरीका----

गिरफ्तार अभियुक्त गयूर पुत्र कयूम नि0- हर्षा खिवई थाना सरूरपुर जिला मेरठ ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं आन्ध्र प्रदेश से कम दामो में गांजा खरीद कर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अधिक दामो में इस गांजे को बेचता हूँ जिसके लिए मैंने अपनी गाड़ी होंडा सिविक कार न0-DL7CE5688 के पीछले बम्पर के नीचे एक टंकी नूमा बाक्स नवा रखा है जिसमें मैं गांजे के छोटे छोटे पैकेट बनवाकर उस बाक्स में भरकर पीछले बम्पर को यथास्थिति बन्द कर देता हूँ जिससे रास्ते में कहीं भी चैकिंग के दौरान कुछ पता भी नहीं लग पाता है पूछने पर बताया कि मेरे द्वारा पूर्व में कई बार इसी प्रकार से गाजा सप्लाई कर चुका हूँ। पकड़े गए गांजे की कीमत बाजार में करीब 10 लाख रु है।

नाम पता अभियुक्त-

गयूर पुत्र कयूम नि0- ग्राम हर्षा खिवई थाना सरूरपुर जिला मेरठ

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0-1335/2021 धारा-8/20 एनडीपीएस थाना लोनी गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण—

1.55 किलो 500 ग्राम नाजायज गांजा

2.एक होंडा सिविक कार न0-DL7CE5688



थाना मसूरी पुलिस द्वारा 250 ग्राम अवैध गांजे सहित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मसूरी पुलिस द्वारा दि0 19.09.2021 को 01 नफर अभियुक्त जान मोहम्मद उर्फ जानू s/o अनीस नि0 ग्राम निगरावटी थाना मसूरी जिला गा0बाद को समय 09.55 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से नाजायज 250 गांजा बरामद हुआ। पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि वह गांजे का नशा करता है तथा पुडिया बनाकर बेचता है। अभि0 के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

(1) जान मोहम्मद उर्फ जानू s/o अनीस नि0 ग्राम निगरावटी थाना मसूरी जिला गा0बाद।

बरामदगी विवरण

1. 250 ग्राम गांजा ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 871 /21 धारा 8/20 NDPS Act थाना मसूरी गा0बाद ।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा पूर्व में पकड़ी गई अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद किया है

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजियाबाद व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर गाजियाबाद के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना मुरादनगर के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दिनांक 19.09.2021 को समय करीब 11.50 बजे चैकिंग के दौरान काकडा पुलिया के पास से 01 अभियुक्त महताब पुत्र नूर मोहम्मद नि0 18 अल्वी नगर थाना लिसाडी गेट मेरठ को 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। महताब उपरोक्त दिनांक 03.09.2021 को पाईप लाइन रोड पर जब पुलिस द्वारा दबिश देकर अवैध शस्त्र बनाने के फैक्ट्री पकड़ी थी उस समय मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया था जिसके सम्बन्ध में पूर्व में ही पंजीकृत मु0अ0सं0 929/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है। जिसमें अभियुक्त महताब काफी दिन से फरार चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त -

महताब पुत्र नूर मोहम्मद नि0 18 अल्वी नगर थाना लिसाडी गेट मेरठ

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

- मु0अ0सं0 929/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर गा0बाद
- मु0अ0सं0 972/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर गा0बाद

बरामदगी का विवरण

01 अदद देशी तमंचा .315 बोर बरामद

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 449/21 धारा 376/328/354 (घ)/506 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधी/ माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा ठोस एवं सार्थक प्रयास करते हुए मु0अ0सं0 449/21 धारा 376/328/354 (घ)/506 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट का वांछित अभियुक्त कपिल पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम टीला शहबाजपुर थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद उम्र

20 वर्ष को दिनांक 19.9.21 को मुखबिर की सूचना पर समय 09.00 बजे सफेद गेट के पास मैन वजीराबाद रोड से गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :-

(1) कपिल पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम टीला शहबाजपुर थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0स0 449/21 धारा 376/328/354 (घ)/506 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट बनाम कपिल उपरोक्त



थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधी/ माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा ठोस एवं सार्थक प्रयास करते हुए दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

थाना टीला मोड़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 494/21 धारा 498ए/323/304बी भादवि व ¾ द0प्र0अधि0 का वांछित अभियुक्त कुलदीप कुमार पुत्र आजाद सिंह नि0 बी-49 इन्द्रपस्थ कालोनी थाना टीला मोड़ गा0बाद उम्र 24 वर्ष संबंधित को दिनांक 19.9.21 को मुखबिर की सूचना पर समय 11.00 बजे अम्बेडकर कालोनी के सामने भोपुरा लोनी रोड से गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :-

(1) कुलदीप कुमार पुत्र आजाद सिंह नि0 बी-49 इन्द्रपस्थ कालोनी थाना टीला मोड़ गा0बाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0सं0 494/21 धारा 498ए/323/304बी भादवि व ¾ द0प्र0अधि0 बनाम कुलदीप उपरोक्त



थाना कविनगर पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की चांदी की प्लेट (वजन 230 ग्राम)

बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा चोरी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा थाना कविनगर के मु0अ0सं0 1353/21 धारा 380/120B/34/411 भादवि थाना कविनगर व मु0अ0सं0 1493/21 धारा 457/380/411/120B भादवि व मु0अ0सं0 1157/21 धारा 457/380/411/120B भादवि के अभियोग में वाञ्छित अभियुक्त गण (1) मुरारी वर्मा पुत्र स्व0 रमेशचन्द वर्मा निवासी सारसोल थाना बन्नादेवी जिला अलीगढ (2) शिवम वर्मा पुत्र स्व0 नरेश वर्मा निवासी महेन्द्रनगर थाना सासनीगेट जिला अलीगढ व (3) धीरज वर्मा पुत्र किशन मोहन वर्मा निवासी 17/340 कटारी वाली गली जयगंज सासनीगेट जिला अलीगढ को आज दिनांक 19.09.2021 को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर आर डी सी कट थाना क्षेत्र कविनगर से समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण के कब्जे से थाना कविनगर के उपरोक्त मुकदमों में चोरी किये गये जेवरात से बनायी गयी 230 ग्राम चांदी की प्लेट कीमत करीब 20 हजार रुपये बरामद हुई। अभियुक्त गण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त गण द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में बड़ी बड़ी कोठियों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं अभियुक्त गण द्वारा पूछताछ में कविनगर क्षेत्र में पूर्व में हुई चोरियों का इकबाल किया गया एवं यह भी इकबाल किया है कि ये लोग अपने साथियों का उनकी जमानत व चोरी के कार्य में भी सहयोग करते हैं। अभियुक्त गण के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

- (1) मुरारी वर्मा पुत्र स्व0 रमेशचन्द वर्मा निवासी सारसोल थाना बन्नादेवी जिला अलीगढ उम्र 29 वर्ष।
- (2) शिवम वर्मा पुत्र स्व0 नरेश वर्मा निवासी महेन्द्रनगर थाना सासनीगेट जिला अलीगढ उम्र 24 वर्ष।
- (3) धीरज वर्मा पुत्र किशन मोहन वर्मा निवासी 17/340 कटारी वाली गली जयगंज सासनीगेट जिला अलीगढ उम्र 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुरारी वर्मा-

- 1-मु0अ0सं0 1493/21 धारा 380/457/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 2- मु0अ0सं0 1353/21 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 3- मु0अ0सं0 1157/21 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।

अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवम वर्मा-

- 1-मु0अ0सं0 1493/21 धारा 380/457/411/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 2- मु0अ0सं0 1353/21 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 3- मु0अ0सं0 1157/21 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त धीरज वर्मा-

- 1-मु0अ0सं0 1493/21 धारा 380/457/411/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 2- मु0अ0सं0 1353/21 धारा 380/411/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 3- मु0अ0सं0 1157/21 धारा 380/411/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

चोरी किये गये जेवरात में से चांदी की प्लेट (वजन 230 ग्राम) कीमत करीब 20 हजार रुपये।

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 03 शातिर चोरो / लुटेरो को मय एक अदद तमंचा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर मय 02 अदद चाकू नाजायज व 05 अदद एन्ड्रायड मोबाइन फोन व 03 अदद कीपैड मोबाइन फोन सहित किया गया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री पवन कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 19.09.21 को चेकिंग के दौरान 03 शातिर चोरो / लुटेरो **1. सलमान 2. अरुण 3. विक्रम सिंह** को राठी मिल के पास, बिजली घर के सामने, थाना विजयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से **चोरी / लूट के 05 अदद एन्ड्रायड मोबाइन फोन व 03 अदद कीपैड मोबाइन फोन एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर मय 02 अदद चाकू नाजायज बरामद किये गये।**

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता

- 1- सलमान पुत्र इस्लामुद्दीन नि0 हनुमान पार्क अर्थला थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष
- 2- अरुण पुत्र चन्द्रपाल नि0 डी-752 आश्रम रोड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष
- 3- विक्रम सिंह पुत्र तेज सिंह नि0 बी-582 आश्रम रोड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1. 5 मोबाईल फोन एण्ड्रायड अलग अलग कम्पनियों के
2. 3 मोबाईल फोन (कीपैड वाले)
3. 1 अदद तमंचा 315 बोर मय 1 अदद जिन्दा कारतूस
4. 2 अदद चाकू नाजायज

गिरफ्तार अभि0गण का आपराधिक इतिहास

- 1-मु0अ0सं0 1275/21 धारा 411/414 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद सलमान आदि 3 नफर उपरोक्त
- 2-मु0अ0सं0 1276/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम सलमान
- 3-मु0अ0सं0 1277/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम अरुण
- 4-मु0अ0सं0 1278/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम विक्रम



